

पर्या डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 52/2025

1. रामनारायण पुत्र नसेरसिंह जाति कम्बोज निवासी रामपरा उर्फ रामसरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

2. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।


डिक्री

प्रतिवादी
दिनांक..... 31/07/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी राजपैरोकार अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 4 एजी के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 21/5 में दर्ज वादी का नाम नारायण के स्थान पर रामनारायण व पिता का नाम नसेरा के स्थान पर नसेर सिंह किये जाने के आदेश दिये जाते हैं तहसीलदार राजस्व टिब्बी को आदेशित किया जाता है यदि वादी पर किसी भी प्रकार कोई आपराधिक प्रकरण या कोई सरकारी देय बकाया हो तो पूर्व नाम ही मान्य होगा। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्या डिक्री आज दिनांक 31/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।